कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक, कोटा।

E-mail-dcf.brn.forest@rajasthan.gov.in , Tel.No.. 07453&230244

क्रमांक0 एफ ( )/एफ.सी.ए./ उ.व.स./2023–24/ 3331 दिनांक 26.6.2024

निमित्तः–

अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी
एफसीए राजस्थान जयपुर।

विशय :– कोटा से धरनावदा सडक निर्माण के वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव।

Proposal no.FP/RJ/ROAD/6979/2014 (13.558ha)

संदर्भः– उप वन संरक्षक बारां के पत्रांक 5529 दिनांक 03.05.2024 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि उक्त प्रकरण में उप वन संरक्षक बारां ने उक्त पत्रांक 5529 दिनांक 03.05.2024 से बिन्दुवार पालना रिपोर्ट निम्नानुसार प्रेषित की है जो निम्नानुसार है–

S.N	EDS Raised in REC meeting dated 18 .4. 2018	REPLY of EDS
a (i) (ii)	Details of Alternative Examined have not been given. The Justification has been submitted that there is no alternative and in case if other Alternatives are explored more forest area will be required. (document at 8-c/1) The Justification is without quanitification of forest area other alternatives.	कोटा से धरनावदा मार्ग 1980 से पूर्व का बना हुआ प्रचलित मार्ग है जो सन 1975 में ग्रेवल सडक बनी हुई थी जिसका डामरीकरण का कार्य 1984–85 में किया गया था। यह मार्ग धरनावदा होते हुए मध्यप्रदे ा से जुडा हुआ है व स्टेट हाईवे है। इस मार्ग पर थर्मल पावर प्लान्ट होने के कारण आवागमन अधिक रहता है वर्तमान में उक्त सडक न्यून्तम वन क्षेत्र से गुजरती है प्रस्तावित मार्ग के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नही हैं। यह सडक 1975 से ग्रेवल सडक है अतः उक्त मार्ग में पडने वाली पूर्ण वन भूमि की प्रत्यावर्तन की आवश्यकता है। इस मार्ग के बाई और कोई भी वैकल्पिक मार्ग लेने पर राज इस्थान सीमा तक वन भूमि आती है तथा इस मार्ग के दाई और छबडा से धरनावदा जाने के लिये हिंगलोट, पाली, फलिया फाटक होते हुए पहुचा जा सकता हैं इसके लिये 17 की.मी अतिरिक्त दूरी तय करनी पडेगी तथा यह स्टेट हाईवे होने के कारण यह Strenghthing का कार्य किया जाना प्रस्तावित है। अतः इसके अतिरिक्त विकल्प लेने पर अधिक वन भूमि व अधिक लागत आयेगी इसलिये अन्य विकल्प उचित नही है।
b (i)	Layout Plan and Cross Section Showing the Forest Area Requirement and area calculation has not been Provided.	यूजर एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया है कि यद्यपी निर्माण कार्य 18 मी. चौडाई में किया गया है किन्तु उक्त सडक स्टेट हाईवे होने के कारण IRC 73 के अनुसार minimum road land withth 30 मी. होनी आवश्यक है। अतः भूमि की ...

Raj Karan Khairwa
8129214

Validity unknown
Signature valid
Digitally signed by Raj Karan Khairwa
Designation : Chief Conservator.Of Forest
Date: 2024.06.1[illegible]:58:11 IST
Reason: Approved

कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक, कोटा।

E-mail-dcf.brn.forest@rajasthan.gov.in , Tel.No.. 07453&230244

क्रमांक0 एफ ( )/एफ.सी.ए./ उ.व.स./2023–24/ 3331 दिनांक 26.6.2024

निमित्तः–

अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी
एफसीए राजस्थान जयपुर।

विशय :– कोटा से धरनावदा सडक निर्माण के वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव।

Proposal no.FP/RJ/ROAD/6979/2014 (13.558ha)

संदर्भः– उप वन संरक्षक बारां के पत्रांक 5529 दिनांक 03.05.2024 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि उक्त प्रकरण में उप वन संरक्षक बारां ने उक्त पत्रांक 5529 दिनांक 03.05.2024 से बिन्दुवार पालना रिपोर्ट निम्नानुसार प्रेषित की है जो निम्नानुसार है–

S.N	EDS Raised in REC meeting dated 18 .4. 2018	REPLY of EDS
a	Details of Alternative Examined have not been given.	कोटा से धरनावदा मार्ग 1980 से पूर्व का बना हुआ प्रचलित मार्ग है जो सन 1975 में ग्रेवल सडक बनी हुई थी जिसका डामरीकरण का कार्य 1984–85 में किया गया था। यह मार्ग धरनावदा होते हुए मध्यप्रदे ा से जुडा हुआ है व स्टेट हाईवे है। इस मार्ग पर थर्मल पावर प्लान्ट होने के कारण आवागमन अधिक रहता है वर्तमान में उक्त सडक न्यून्तम वन क्षेत्र से गुजरती है प्रस्तावित मार्ग के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नही हैं।
(i)	The Justification has been submitted that there is no alternative and in case if other Alternatives are explored more forest area will be required. (document at 8-c/1)	
(ii)	The Justification is without quanitification of forest area other alternatives.	यह सडक 1975 से ग्रेवल सडक है अतः उक्त मार्ग में पडने वाली पूर्ण वन भूमि की प्रत्यावर्तन की आवश्यकता है। इस मार्ग के बाई और कोई भी वैकल्पिक मार्ग लेने पर राज इस्थान सीमा तक वन भूमि आती है तथा इस मार्ग के दाई और छबडा से धरनावदा जाने के लिये हिंगलोट, पाली, फलिया फाटक होते हुए पहुचा जा सकता हैं इसके लिये 17 की.मी अतिरिक्त दूरी तय करनी पडेगी तथा यह स्टेट हाईवे होने के कारण यह Strenghthing का कार्य किया जाना प्रस्तावित है। अतः इसके अतिरिक्त विकल्प लेने पर अधिक वन भूमि व अधिक लागत आयेगी इसलिये अन्य विकल्प उचित नही है।
b	Layout Plan and Cross Section Showing the Forest Area Requirement and area calculation has not been Provided.	यूजर एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया है कि यद्यपी निर्माण कार्य 18 मी. चौडाई में किया गया है किन्तु उक्त सडक स्टेट हाईवे होने के कारण IRC-73 के अनुसार minimum road land withth 30 मी. होनी आवश्यक है। अतः भ[illegible]
(i)		

RajKaj Ref
8129214

Validity unknown
Signature valid
Digitally signed by Raj Karan Khairwa
Designation : Chief Conservator.Of Forest
Date: 2024.06.1[illegible]:58:11 IST
Reason: Approved

(ii)	Details are Provided in hard copy at 8/c-2 and 8c/-3. As per cross Section Attached At 8-c/3 the requirement is of 18 mts width whereas area calculation sheet shows average width requirement varying from 7.13 mts to 29 mts at different chainage of road.	की गाईड लाईन अनुसार 30 फिट की चौडाई में प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये है। संलग्न IRC की प्रति
	Required no Objection certificate is not Provided.	उक्त प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंधन पाया गया है।
d (i) (ii)	Violation of FC Act has been Reported & FIR has been lodged against Contractor/ driver by ROF. However, area of violation has not been specified. Extent violation (4.0ha) has been Provided at 8-c/11. The document is a scanned copy . the extent of violation includes only of recent work of 5 mts on both sides for 4 kms. Issue of violation of FCA needs to be dealt as per latest guidelines of MOEF & CC issued on 29 january 2018 Provisions contained on page 2 at A(i) regarding cases"... where the proposal under FC Act has not been submitted and forest land is diverted without FC" shall be dealt as per provisions contained in sub section (i) & (ii) in this cases the violation is of 2013 as per part ll filled by DFO and timeline shows submission of proposal by user agency on 8th may 2015.Date of violation in this case is confusing because few other dates are mentioned in report at 8/c-1 like	दिनांक 1.06.2013 को पदस्थापित अधिकारीयो एव वर्तमान पर स्थापन की सूचना तथा वर्क आर्डर की कापी एव कान्ट्रेक्ट डाक्युमेन्ट की प्रति भी अधि ाषी अभियन्ता के पत्र कमांक 2244 दिनांक 31.05.2018 के द्वारा संलग्न कर प्रेषित कर दी गई है। 4 है0 वन क्षेत्र में violation हुआ है। उक्त प्रकरण में स्टेट के 4 की.मी लम्बाई में 5–5 मी दोनो तरफ कुल 4 है0 में से सडक चौडाई करण का कार्य वन क्षेत्र में किया जा चुका है जिसकी FIR NO 7–82 दिनांक 27.9. 2013 एव रवन्ना न0 43–28 दिनांक 03.10. 2013 से दर्ज किया जाकर 62000रू जुर्माना वसूल कर अपराध शमन किया गया । जिसमें वन अपराध दर्ज करते समय 0.29 है0 का उल्लंधन पाया गया था। MOEF & CC के 29 january 2018 के परिपत्र के आधार पर प्रयोक्ता अभिकरण से आरोपित शास्ती की राशि 610383.66/– की गई है राशि जमा कराने एव अन्य शर्तो की पालना हेतु यूजर एजेन्सी को पत्र कमांक 8889 दिनांक 08.09.2023 लिखा गया है।

RajKaj Ref
8129214

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by Ra[illegible] Karan Khairwa
Designation : Chief [illegible]servator Of Forest
Date: 2024.06.1[illegible]:58:11 IST
Reason: Approved

(iii)	construction of gravel road in 1975 application bitumen / tar in 1984-85. Therefore, the issue requires a self contained note duly providing chronology, details of officials, actual extent with dates, copy of work related document etc.	यूजर एजेन्सी के पत्र कमांक 433 दिनांक 2707.2023 द्वारा self contained note की प्रेशित किया गया है जिसमें कोनोलोजी, पद स्थापित अधिकारीयो का विवरण ,वर्क ओर्डर की कोपी एव कोन्ट्रेक्टर डोक्यूमेन्ट की प्रति संलग्न है।
e. **(ii)**	Entire area falling under forest Proposed for construction has been included in diversion Proposal, whereas the road is claimed to be pre existing . It needs clarification" Extent violation will vary as per this reply which will require inclusion of all constructed area.	उक्त मार्ग 1980 से पूर्व का बना हुआ प्रचलित मार्ग है जो लगभग सन 1975 में ग्रेवल सडक बनी थी जिस पर 1 लेन सडक बनी थी डामरीकरण का निर्माण 1984 –85 में किया गया था किन्तु 2013 में उक्त सडक का सुदृडीकरण एव चौडाईकरण कार्य किया जाना था। इस हेतु सडक का पूरा एरिया डायवर्जन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये है। यद्यपीं 1 लेन सडक का निर्माण 1988 में किया गया था किन्तु 2013 में उक्त सडक का सुद्धढीकरण एव चौडाईकरण कार्य किया जाना था। इस हेतु सडक का पुरा एरिया डायवर्जन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये ।
f.	"As per DSS Analysis 1 ha only out of 13.56 ha proposed for CA is not found suitable. This may be re. examined"	DSS वि लेशण के अनुसार 13.56 है0 में से 12.56 है0 क्षेत्र ही NFL हेतु अनुकुल पाया गया है। उसी अनुसार 12.56 है0 का NFL प्लान संलग्न कर दिया गया है।1 है0 भूमि अनुउपयुक्त पाये जाने के कारण MOEF & CC के परिपत्र अनुसार अवशेष भूमि 1 है0 पर लगाये जाने वाले 1100 पौधे परिभ्राषित वन भूमि 1.57 है पर लगाये जायेंगे।

सलंग्नः–3 सेट।

(रामकरण खैरवा)
संभागीय मुख्य वन संरक्षक
कोटा

क्रमांक0 एफ ( )/एफ.सी.ए./मु.व.स./2023–24/3332 दिनांक 26.6.2024
प्रतिलिपिः– उप वन संरक्षक बारां को उनके उक्त पत्रांक के क्रम में प्रेषित है।

Validity unknownSignature valid

RajKaj Ref
8129214

Digitally signed by Ra[illegible] Karan Khairwa
Designation : Chief C[illegible]servator Of Forest
Date: 2024.06.1[illegible]:58:11 IST
Reason: Approved